

न्यायालय जिला कलेक्टर, टोंक

(डॉ. सौम्या झा, आई०ए०एस०द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या
प्रविष्टि दिनांक

70 / 2024
21.10.2024

प्रहलाद पुत्र गोपी जाति कीर निवासी नटवाडा तहसील निवाई जिला टोंक राज०
—अपीलान्ट

बनाम

नायब तहसीलदार सिरस जिला—टोंक

—रेस्पोजेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध निर्णय
नायब तहसीलदार सिरस दिनांक 11.09.2024 मिसल नम्बर 196 / 2024

उपस्थिति : (1) श्री लादूलाल यादव, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री सावंतराम मीना, नायब तहसीलदार राजकीय पेरोकार

निर्णय

दिनांक 28.11.2024

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सिरस ने अपने निर्णय दिनांक 11.09.2024 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 1027/1 रकबा 0.126 है० किस्म गै.मु.तालाब वाके ग्राम नटवाडा तहसील निवाई में राजकीय भूमि पर जोत कब्जा कर अतिक्रमण करने के कारण पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए भूमि से बेदखल करने, 25/रू. पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार सिरस के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी रेस्पोजेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी नोटिस पर अपीलान्ट की प्रोपर तामिल नहीं हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को बिना सुने व बिना साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर प्रदान किये बिना ही निर्णय पारित किया है। नायब तहसीलदार द्वारा मौका निरीक्षण नहीं किया है और ना ही मौके की वास्तविक-वस्तु स्थिति की रिपोर्ट तलब की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व पटवारी हल्का से अपीलान्ट को जिरह करने का अवसर नहीं दिया गया है। पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्ट के विरुद्ध दुर्भावना पूर्वक पश्चातवर्ती कब्जे बाबत रिपोर्ट की गई है। अपीलान्ट का उक्त भूमि पर कब्जा नहीं है। अपीलान्ट्स ने विवादित भूमि से अपना कब्जा हटा लेने बाबत शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

जिला कलेक्टर
टोंक

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय परोकार ने कथन किया कि अपीलान्ट को विवादित भूमि खसरा नम्बर नम्बर 1027/1 रकबा 0.126 है0 किस्म गै.मु.तालाब वाके ग्राम नटवाडा तहसील निवाई में राजकीय भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर जोत कब्जा कर अतिक्रमण करने पर नायब तहसीलदार सिरस द्वारा भूमि से बेदखल करने, पेनल्टी कायम करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया है, जिस पर अपीलान्ट की विधिवत तामील हुई है,परन्तु अपीलान्ट न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जो पटवारी रिपोर्ट एवं बयानो से सिद्ध है। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है ओर राजकीय भूमि पर बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एवं उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एवं राजकीय परोकार की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलान्ट की ओर से भवंरलाल की तामील हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुये है। अपीलान्ट द्वारा भूमि खसरा नम्बर नम्बर 1027/1 मे से रकबा 0.126 है0 किस्म गै.मु.तालाब वाके ग्राम नटवाडा तहसील निवाई पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण कर कब्जा जोत कर अतिक्रमण किया है,जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयानो से सिद्ध है। अपीलान्ट ने पूर्व में भी उक्त भूमि पर अतिक्रमण किया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 566/2023 निर्णय दिनांक 15.09.2023 से भूमि से बेदखल किया गया है। अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा मे दिनांक 26.11.2024 को शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उक्त भूमि से अपना कब्जा भौतिक रूप से हटा लिया है और अब मैं भविष्य मे उक्त भूमि अथवा अन्य सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं करूंगा। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन निर्णय द्वारा नायब तहसीलदार सिरस प्रकरण संख्या 196/2024 दिनांक 11.09.2024 मे अपीलान्ट अतिक्रमी के विरुद्ध 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा तक निर्णय को अपास्त किया जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(डॉ. सीमा झा)
जिला कलेक्टर, टोंक
टोंक